

परिषद की वाराणसी जोन के अन्तर्गत फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, एवं मिर्जापुर नगरों के आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों, दुकानों एवं कियोस्क भूखण्डों की

स्थल :- कार्यालय सम्पत्ति प्रबंध, आफिस काम्पलेक्स, अंगूरी बाग, फैजाबाद

आवंटन/नीलामी
दि. 31.10.2017, समय : प्रातः 11.00 बजे

सम्पत्तियों का प्रकार / संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर	अनुमानित मूल्य (रु0 लाख में)	टोकन / पंजीकरण धनराशि (लाख में)
डोमरोली योजना, मिर्जापुर					
व्यवसायिक भूखण्ड सं0-सी0पी0-114 / 1 (अनारक्षित)	01	76.29	20832.00	-	1.59
व्यवसायिक भूखण्ड सं0-सी0पी0-114 / 3 (अनारक्षित)	01	77.34	20832.00	-	1.62
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर					
दुकानें- LGFS 6,7, (अनारक्षित)	02	9.922 व0मी0	-	11.84 प्रति नग	1.19
दुकानें- LGFS 4, 5, 8, 9, 10, 11 (अनारक्षित)	06	9.633 व0मी0	-	11.50 प्रति नग	1.16
तहसील हरैया, बाग्बे योजना बस्ती					
आवासीय भवन 22 नग 15 / 25 प्रकार बी0पी0एल0 कार्डधारकों हेतु।	22	25.00	-	0.40 प्रति नग	0.05 लाट्री द्वारा
अवधपुरी योजना, फैजाबाद					
कियोस्क के-4 (अनारक्षित)	01	4.00 व0मी0	-	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 व0मी0	-	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
भरतपुरी योजना, गोण्डा					
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50 व0मी0	9680.00	-	15.40
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82 व0मी0	9680.00	-	17.70

नोट:- तहसील हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची में अंकित व्यक्तियों के (बी0पी0एल0 कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु0 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी0पी0एल0 कार्ड / राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना :- (1) समस्त सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों के अनुसार किया जायेगा। (2) आवंटन/नीलामी में प्रस्तुत सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलडबिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु0 100 /- जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में संबंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में एक दिन पूर्व सीलडबिड के साथ जमा करना होगा। (4) शैक्षणिक भूखण्डों हेतु पुस्तिका सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा से रु0 1000.00 में क्रय कर विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रु0 5000.00 सहित जो "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" को देय होगा, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, गोण्डा में जमा करना होगा। (5) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी संबंधी नियम शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन-सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।
डायल करें 0522-2236803, (टेलफ्री-1800-180-5333)
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005

सेवात्मक प्रमाणित संस्थान

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
Website : <http://www.upavp.in> E-mail : info@upavp.com

एनपी 018 नं० 1815700
